

Anees Ahmad
Advocate

Chamber/office-
Shop No. 18, Abbasi Complex,
Infront of Registrar Office,
Surendra Nath Srivastava Marg,
Lucknow-226018, U.P.
Mob. No. 9415016048

To,

**Real Estate Regulatory Authority
Raj Niyojan Sansthan, Naveen Bhawan,
Kalakankar House, Old Hyderabad, Lucknow**

I have made the search in the office of Sub-Registrar-II, Lucknow for the property of the land falling in the project "The Pinnacle" by Omega Developers and Builders , which is falling in the land bearing Khasra Nos. 174 as mentioned below situated at Village-Uttardhauna, Distt. and Tehsil Lucknow


Khasra No.	Area as per Khatauni
174 Min	1.5060

After perusing the index registrar in the office of Sub-Registrar-II, District Lucknow, there is no any record for the aforesaid property about charge, lien and encumbered in any manner what so ever and it is free from any encumbrance. The ownership of the aforesaid properties are still in the ownership of their respective owners and have their respective right in their aforesaid property.

I have more than 20 years of experience in the real estate sector.

Lucknow

Dated: 30.01.2026


(Anees Ahmad)
Advocate
Reg No. UP08610/99

कार्यालय उप निबंधक सदर द्वितीय लखनऊ जनपद लखनऊ

आवेदन संख्या :2202622800377

प्रमाण संख्या :22026228000364

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- आशीष कुमार गुप्ता पुत्र- एच.पी.गुप्ता तहसील लखनऊ जिला लखनऊ ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - उत्तर धौना, वार्ड/परगना- लखनऊ, आवासीय- आशीष कुमार गुप्ता, खसरा सं 174मि
ग्राम उत्तरधौना लखनऊ, 174मि

मै एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 20/01/2014 से दिनांक 20/01/2026 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :20-01-2026

नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर डूँढे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा

आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।

2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बंधित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।

4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

5. 'प्रथम पक्ष' से तात्पर्य बंधक कर्ता से है और 'द्वितीय पक्ष' से तात्पर्य बन्धकी से है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: राजेश कुमार यादव।

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : आलोक सिंह।

Prabhash Singh
Digitally signed
by Prabhash
Singh
Date: 2026.01.20
16:03:15 +05'30'

उप निबंधक सदर द्वितीय
लखनऊ

प्रिंट करें